बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक – मु0अ0–4(मु0)विविध (कार्य)–23–116 / 17-8297(S) दिनांक – 12/7/2019

प्रेषक–
विनय कुमार, भा0प्र0से0
सचिव,

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

विषयः– बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों की आपातकालीन मरम्मत कर अविलम्ब यातायात को पुनर्बहाल करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा के कारण ग्रामीण पथों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बन सकती है। बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों की आपातकालीन मरम्मत कराकर अविलम्ब यातायात को पुनर्बहाल कराना ग्रामीण कार्य विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है ताकि आपदा पिड़ित समूहों तक सरकारी सहायता पहुँचायी जा सके।

उपरोक्त परिस्थिति में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं जिनका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायः–

(i) अपने क्षेत्राधीन के सभी ग्रामीण पथों, चाहे वे निर्मित, अर्द्धनिर्मित, निर्माणाधीन, अनुरक्षणाधीन या अनुरक्षण अवधि के बाहर के हों, के बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग का निरीक्षण स्वयं कर यातायात की पुनर्बहाली के लिए आपातकालीन मरम्मति का प्राक्कलन पी0डब्लू0डी0 कोड के प्रावधानों के मुताबिक तैयार कर उस पर सक्षम तकनीकी प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर लें। साथ ही ऐसे प्रत्येक पथ के बारे में पथवार निधि की अधियाचना करते समय क्षतिग्रस्त पथांश के लिए तैयार अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति के साथ एक स्पष्ट प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जाय।

12/7/19

(ii) उल्लेखनीय है कि यह कार्रवाई आपातकालीन मरम्मत के रूप में की जानी है, जिसके लिए आपदा राहत कोष से निधि की मॉग की जायेगी। इसलिए ऐसी प्रत्येक योजना के लिए संधारित अभिलेख में इस पथ को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय। प्रत्येक क्षतिग्रस्त पथ के बारे में क्षतिग्रस्त पथांश की स्थिति को अंकित करते हुए निम्न प्रपत्र में एक प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

प्रपत्र

Sl. No	Name of District	Name of Work Division	Road Name	Head/ Scheme	Road Status(Complete/On going	Whether is in maintanance period (Y/N)	Lenth of the road (K.M).	Length of damaged part due to flood	Amount of restoration (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(iii) सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्यपालक अभियंता, सभी सहायक अभियंता एवं सभी कनीय अभियंता सहित ग्रामीण कार्य विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने मुख्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध रहेंगे। अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता व्यक्तिगत रूप से जिला पदाधिकारी के सम्पर्क में रहेंगे और उनके निदेश पर क्षतिग्रस्त पथों की आपातकालीन मरम्मति कराने की तत्काल कार्रवाई करेंगे।

(iv) क्षतिग्रस्त पथों की मरम्मत के लिए पी0डब्लू0डी0 कोड के नियम 200 में प्रावधान है:

"200- In cases of urgency, the superintending Engineer may authorise the commencement of periodical repairs in anticipation of the formal sanction to the estimate; but in such cases, an approximate sum must be fixed, to the expenditure of which sanction is provisionally given, and the Executive Engineer will be responsible that the regular estimate is submitted at the earliest possible date.

(v) इसके अतिरिक्त यदि किसी पथ को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक हो, तो इसके लिए पी0डब्लू0डी0 कोड के आपातकालीन प्रावधान के अनुसार निरोधात्मक/सुरक्षात्मक कार्रवाई अनिवार्यतः पूरी की जाय।

14/7/15

(vi) बाढ़ कटाव निरोधी कार्यों को विभागीय तौर पर कराना भी अनिवार्य होगा। यह कार्य पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-1729(S) दिनांक-18.02.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा निर्माण विभाग संहिता भाग-1 के नियम **159 'क'** के उप नियम **(iii)** के संशोधित प्रावधान के अनुरूप होगा।

(vii) निर्माणाधीन एवं अनुरक्षणाधीन पथों में आपातकालीन मरम्मति की योजना को मूल योजना से अलग रखा जाय ताकि आपदा राहत कोष से प्राप्त होने वाली निधि एवं योजनाओं के लिए तकनीकी क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

(viii) कार्यपालक अभियंता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि किसी पुल-पुलिया आदि पर जल प्रवाह का दबाव बहुत अधिक हो तो आवश्यकतानुसार अन्यत्र जल निकासी की कार्रवाई की जा सके।

(ix) बाढ़ प्रभावित पथों में हुई क्षति का पर्याप्त विडियोग्राफी एवं फोटो लेना सुनिश्चित करेंगे।

(x) संबंधित कार्य प्रमंडल द्वारा RWD MIS के Flood/Rain Damage Road Menu में प्रतिदिन बाढ़/वर्षा-अतिग्रस्त पथों की पूर्ण सूचनाएं तथा फोटोग्राफ अनिवार्यतः अपलोड की जायेगी।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन

12/7/19

(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांक– नु0अ0–4(मु0)विविध (कार्य)–23–116/17 2297 दिनांक– 12/7/19
प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/19
सचिव

ज्ञापांक– नु0अ0–4(मु0)विविध (कार्य)–23–116/17 2297 दिनांक– 12/7/19
प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

12/7/19
सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध (कार्य)–23–116 / 17 दिनांक–
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः– मु0अ0–4 (मु0) विविध (कार्य)23–116 / 17 / पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः–आई0टी0 नोडल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव